वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक(वन्यजीव) भरतपुर

कमाक एफ ( )/ /उवस/2023–24/2137
निमित्तः–

दिनांक

श्रीमान रजिस्ट्रार
नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल
सेन्ट्रल जोनल बैंच,
भोपाल

विषयः–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्यया 05/2024 अरूण शर्मा बनााम राजस्थान राज्य व अन्य एवं ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 07/20224 अशोक शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना में बंध बारैठा में अवैध खनन के सम्बन्ध में।
संदर्भः–माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल के आदेश दिनांक 07.03.20224 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित आदेश के क्रम में निवेदन है बंध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य में अवैध खनन रोकथाम के सम्बन्ध में उपरोक्त विचारधीन प्रकरण के क्रम में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल भोपाल के आदेश संख्या 07.03.2024 की पालना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही/पालना की विस्तृत एवं पूर्ण रिर्पोट निम्न प्रकार हैः–

1. माह जनवरी 2024 में पुलिस एवं आर.ए.सी की जाप्ता से बंध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य में अस्थायी टैंट लगाकर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम की गयी है।
2. दिनांक 05.04.2024 को उप खण्ड अधिकारी बयाना की अध्यक्षता में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें वन–विभाग, खनन–विभाग के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु चर्चा की गयी गयी तथा वन–विभाग द्वारा बताया गया कि अवैध सैण्ड स्टोन के अवैध खनन के दो प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गयी। खनिज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक अवैध खनन निर्गमन के 17 प्रकरण दर्ज कर 32.00 लाख राशि वसूल की गयी है, पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन्यजीव अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र में माह मार्च 2024 में हाईड्रा, कम्प्रेशर, दो ट्रैक्टर मशीन पकड कर तथा जप्त कर फोरेस्ट एक्ट के तहत् कार्यवाही की गयी है। वन–विभाग द्वारा अवगत कराया गया की ग्राम गढी बाजना एवं दर्रबरहाना क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य एव वन क्षेत्र में अवैध खनन के स्थानों को चिन्हित कर खाई खुदवाकर बंद करा दिया गया है, जिनको नियमत रूप से चैक किया जा रहा हैं।

   मीटिंग में उपस्थित सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि आपसी समन्वय कर वन्यजीव अभ्यारण्य के गढी बाजना एवं दर्रबरहाना में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु नियमित चैकिंग की जावे, तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा पर एवं अन्य स्थानों संयुक्त चैक पोस्ट स्थापित की जावें। मीटिंग कार्यवाही विवरण दिनांक 05.04.2024 की प्रति संलग्न हैं। (Anexx-1)
3. वन–विभाग द्वारा वन्यजीव अभ्यारण बंध बारैठा में अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये माह अप्रेल 2023 से जनवरी 2024 तक कुल 25 प्रकरण दर्ज कर 12.32 लाख जुर्माना वसूल किया गया है। गत दो वर्षो की अवधि में 3 कि.मी. पक्की दीवार बनायी गयी है, तथा इस क्षेत्र में 100 हैक्टेयर प्लान्टेशन करवाकर वन क्षेत्रों को सुरक्षित किया गया हैं।

माह जनवरी 2024 के पश्चात आर.ए.सी. जाप्ता उपलब्ध नहीं होने एवं स्टॉफ की कमी से अवैध खनन की रोकथाम में कठिनाई हो रही हैं। फिर भी उपलब्ध स्टॉफ द्वारा नियमित निगरानी एवं ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग कर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम की जा रही हैं। (तथ्यात्मक रिर्पोट की प्रति संलग्न हैं) (Anexx-2)

4. अवैध खनन की रोकथाम हेतु वन–विभाग एवं खनन विभाग की सुयक्त टीम द्वारा नियमित चैकिंग की जा रही है, तथा अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम का प्रयाश किया जा रहा हैं। मौका निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 09.04.204 एवं 16.04.2024 संलग्न हैं। (Anexx-3 एवं 4)
5. माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2024 की पालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार गुप्ता भा.व.से. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजस्थान जयपुर , श्री टी.मोहनराज, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर एवं श्री मानस सिंह उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं बंध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य के स्टॉफ द्वारा अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षणकिया गया तथा पाया गया कि अवैध खनन बंद है, कभी–कभी चौरी छिपे निकट ग्रामवासी अवैध खनन की कौशीश करते है। अवैध खनन क्षेत्र के प्रवेश एवं निकासी के एक से अधिक बिन्दु होने के कारण पूर्ण रूप से नियत्रंण किये जाने के लिये स्टॉफ की कमी को देखते हुये आर.ए.सी. की तैनाती अत्यन्त आवश्यक हैं। (निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 11.03.2024 की प्रति संलग्न है) (Anexx-5)
6. भरतपुर जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला कलक्टर भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग एवं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी उपस्थित हुये। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्यवाही कर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम के निर्देश दिये गये तथा उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर को संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर पालना रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक12.04.2024 एवं जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 13.04.2024 की प्रति संलग्न हैं। (Anexx-6 एवं 7)
7. जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश संख्या दिनांक 13.04.2024 की पालना में उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं खनि खनिज अभियन्ता भरतपुर, सहायक खनि अभियन्ता रूपवास एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी बंध बारैठा अभ्यारण मय स्टॉफ द्वारा दिनांक 17.04.2024 को वन्यजीव बंध बारैठा अभ्यारण के अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र गढी बाजना एवं दर्रबराहना क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर कोई वाहन, मशीन, मजदूर, इत्यादि नहीं पाये गये तथा अवैध खनन नहीं पाया गया। विभाग द्वारा चिहिन्त स्थानों एवं लिप्त कच्चे रास्तो पर खाई खोदकर रास्ते बंद किये गये है, तथा पाया कि उक्त क्षेत्र में काफी समय में अवैध खनन/निर्गमन बंद हैं स्टॉफ से वार्ता करने पर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु आर.ए.सी. की आवश्यकता तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश सीमा एवं भरतपुर धौलपुर सीमा पर पुलिस, खनन एवं वन विभाग की संयुक्त चौकी स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुयी। संयुक्त मौका निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 17.04.2024 की प्रति संलग्न हैं। (Anexx-8)
8. खनन विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2024 से दिनांक 15.04.2024 के मध्य अवैध खनन सामग्री के निर्गमन के 26 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही गयी है,, तथा 12.69 लाख राशि वसूल की गयी है। सहायक खनि अभियन्ता रूपवास जिला भरतपुर की पालना रिर्पोट दिनांक 16.04.2024 की प्रति संलग्न हैं (Anexx-9)
9. अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु इस कार्यालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, भरतपुर एवं जिला कलक्टर भरतपुर से आर.ए.सी. जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है, तथा पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.03.2024 द्वारा अति. महानिदेशक पुलिस प्रशासन जयपुर को निवेदन किया गया है पत्र दिनांक 12.03.2024 एवं दिनांक 13.03.2024 की प्रति संलग्न हैं। (Anexx-10 एवं 11)

10. वर्तमान में भरतपुर जिले में लोकसभा आम चुनाव होने के कारण होमगार्ड भी उपलब्ध नहीं हो रहे है। उपलब्ध वन्यजीव अभ्यारण स्टॉफ द्वारा प्रतिदिन गस्त कर मौनिटिरिंग की जा रही है, तथा अवैध खनन के पूर्ण रोकथाम के प्रयाश किये जा रहे है। आम चुनाव के पश्चात् अवैध खनन सामग्री निर्गमन स्थानों पर संयुक्त चौकी स्थापित करने एवं आर.ए.सी. जाप्ता उपलब्ध होने पर अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोकथाम सुनिश्चित की जावेंगी।

पालना रिर्पोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय

(जी.के. वर्मा)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

क्रमांक / सम / 2138—41

दिनांक 18.04.204

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना रणथम्भौर, सवाई माधोपुर।
2. जिला कलक्टर भरतपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
4. अधीक्षण खनिज अभियन्ता भरतपुर।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

(Anx-1)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बयाना, जिला भरतपुर

आज दिनांक 5/4/24 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बयाना की अध्यक्षता में उपखण्ड क्षेत्र बयाना में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम सुनिश्चित करने बावत् कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बयाना बयाना के कक्ष में SIP कमेटी की मीटिंग आयोति की गई। मीटिंग में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम
01	राजीव शर्मा S.D.O. बयाना	
02	भीमसिंह – SMF	
03	लाखन सिंह R.O Bayana	
04	रूपेन्द्र कुमार शर्मा R.O वन्ध बारेठा	
05	श्रीचन्दलाल मीना ASI गढ़ी बाजना	

मीटिंग में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बयाना में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु सभी विभागों को अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु सुनिश्चित किया जाये तथा शासन के परिपत्र दिनांक 09.02.2012, 02.02.2016 व 05.07.2021 के अनुसार माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के प्रकरण संख्या 5/2024 (CZ), 7/2024 (CZ) के आदेश दिनांक 07.03.2024 की पालना सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित निर्देश दिये गये है:–

1. वन विभाग द्वारा बताया गया कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 07.03.2024 में वन्ध बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य में खनिज रौण्ड स्टोन के प्रकरण में अवैध खनन की रोकथाम हेतु निर्देश दिये गये है। जिसकी पालना में वन विभाग द्वारा ..2... कार्यावाही की गई।
2. खनिज विभाग द्वारा तहसील बयाना में अवैध खनन सम्भावित व संवेदनशील क्षेत्रों की सूची दी गई तथा इस वर्ष 01.03.2023 से आज दिनांक तक की कार्यवाही के बारे में बताया गया जो निम्न है:–

बयाना उपखण्ड क्षेत्राधिकार में दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक अवैध खनन निर्गमन के 17 प्रकरण बनाए जाकर शास्ति राशि 32.34 लाख वसूल की गई एवं बताया गया कि बयाना उपखण्ड में खनिज सिलिकासैण्ड, मैसनरी स्टोन, चर्ट के कुल 21 खनन पट्टे स्वीकृत होकर प्रभावशील है तथा याचिका में वर्णित प्रश्नगत ग्राम दर्रबराहना, गढ़ीबाजना में विभाग द्वारा कोई खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किए गए हैं। उक्त क्षेत्र बंध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य/वनक्षेत्र में होने से वन विभाग के साथ समय-समय पर चैकिंग की जाती है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देश दिए गए कि उपखण्ड क्षेत्र में जारी खनन पट्टों को डिमार्केशन, निरीक्षण एवं केशरों के स्टॉक, रवन्ना, टीपी (परिवहन पास) को समय-समय पर चैक किया जावे।

पुलिस विभागः-मीटिंग में उपस्थित थानाधिकारी गढ़ीबाजना द्वारा बताया गया कि वन्यजीव अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र में गत माह हाइड्रा, कम्प्रेसर, 2 ट्रैक्टर मशीन पकड़कर अवैध खनन स्थल से जब्त कर फोरेस्ट एक्ट के नियमों के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई एवं सभी विभागों को आपसी समन्वय कर निरंतर संयुक्त चैकिंग करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देशित किया गया।

वन विभागः-वन विभाग द्वारा बताया गया कि बयाना उपखण्ड में इस माह अवैध खनन निर्गमन के दो प्रकरण बनाए जाकर 22000/- जुर्माना राशि वसूल की गई एवं बताया कि ग्राम गढ़ीबाजना एवं दर्रबराहना वन्य जीव अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र जहां अवैध खनन होने के संभावित स्थल को चिन्हित कर मुख्य रास्तों को खाई खुदवाकर बन्द कर दिया गया है एवं जिनको नियमित चैक किया जाता है जिससे अवैध खनन निर्माण रूका हुआ है।

अन्त में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि आपसी समन्वय कर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र गढ़ीबाजना एवं दर्रबराहना में अवैध खनन एवं निर्गमन नहीं हो इसके लिए नियमित संयुक्त चैकिंग करेंगे एवं अवरूद्ध किए गए रास्ते पुनः चालू न हो यह सुनिश्चित करेंगे एवं उक्त क्षेत्र में राजस्थान, उत्तरप्रदेश की सीमा पर एवं अन्य स्थानों पर वन विभाग द्वारा चैकपोस्ट स्थापित की जावे।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

(Annex. 2)

~~Annexure-1~~

KEOLADEO NATIONAL PARK

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर

अवैध खनन संबंधी कार्यों में क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव बंध बारैठा को अवैध खनन/ अवैध परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके फलस्वरूप इस कार्यालय स्तर से वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह अप्रेल 2023 से जनवरी 2024 तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

1

क्र. सं0	माह का नाम	दर्ज प्रकरण			मुआवजा राशि जो बसूल की गई		
		अवैध खनन	अवैध परिवहन	कुल	अवैध खनन	अवैध परिवहन	कुल
1	अप्रेल 23	–	–	–	–	–	–
2	मई 23	–	03	03	–	167000	167000
3	जून 23	–	–	–	–	–	–
4	जुलाई 23	01	01	02	150000	31000	181000
5	अगस्त 23	–	–	–	–	–	–
6	सितम्वर 23	02	05	07	30000	194000	224000
7	अक्टूवर 23	–	–	–	–	–	–
8	नवम्वर 23		03	03		153000	153000
9	दिसम्वर 23	01	04	05	51000	322000	373000
10	जनवरी 24	02	03	05	21000	113000	134000
	योग	06	19	25	252000	980000	1232000

2 अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु उक्त वन क्षेत्र में पिछले 2वर्षों की अवधि में लगभग 3कि.मी0 पक्की दीवार बनायी गयी है।

3 अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु उक्त वन क्षेत्र में इस वर्ष 100 हैक्टेयर प्लान्टेशन कराकर वन क्षेत्र को उक्त गतिविधियों से सुरक्षित किया गया है।

4 अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु इस कार्यालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को जनवरी 2024 में आर.ए.सी/पुलिस जाप्ता लगाये जाने हेतु निवेदन किया गया, तथा निरन्तर आर.ए.सी/पुलिस जाप्ता लगाये रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

5 अवैध खनन/ अवैध परिवहन की पूर्ण रोकथाम हेतु इस कार्यालय को पुलिस एवं आर.ए.सी. की सहायता जनवरी 2024 तक प्राप्त हुई।

6 माह जनवरी में पुलिस एवं आर.ए.सी जाप्ता की सहायता से अवैध खनन की रोकथाम हेतु कई स्थानों पर अस्थाई टेन्ट लगाकर मॉनीटरिंग की गई थी तथा वर्तमान में वन विभाग के स्टाफ द्वारा अस्थाई टेन्ट लगाकर उक्त गतिविधियों पर रोकथाम की जा रही है।

7 क्षेत्रीय वन अधिकारी गश्तीदल को क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव बंध बारैठा के साथ सहयोग एवं समन्वय हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

8 उक्त गतिविधियों की रोकथाम हेतु समय–समय पर प्रभावित क्षेत्र की ड्रोन द्वारा मॉनीटरिंग कराई जा रही है।

Manoj

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

(Annex. 3)
~~Ann. 4~~

राजस्थान सरकार
कार्यालय - सहायक खनि अभियन्ता बयाना भरतपुर (राज०)

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 11/05/2024 को, कार्यालय पत्र की पालना में निकट ग्राम गाढ़ीबाजना एवं दर्रेभराना तहसील बयाना वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में माननीय न्यायालय हरित प्राधिकरण भोपाल एवं उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्देशों के क्रम में अवैध खनन / निर्गमन के विरुद्ध वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ संयुक्त चैकिंग की गई। कोई वाहन अवैध खनिज निर्गमन एवं खनन में लिप्त नहीं पाया गया तथा पूर्व में अवैध खनन / निर्गमन में प्रयुक्त होने वाले रास्तों को देखा गया जो पूर्व की तरह अवरुद्ध पाये गये न वाहनों के निशान नहीं पाये गये मौका रिपोर्ट अनुसार अवैध खनन / निर्गमन पर अंकुश लगा हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
(वन्य जीव) बंध बारैठा

रवि कुमार
(वनरक्षक)

SME
ff -- AME. Roopwas.

Scanned with CamScanner

(Annex-4)

राजस्थान सरकार

कार्यालय · सहायक खनि· अभियन्ता रूपवास भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 16/05/2024 को मय क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव बन्ध बरैठा तहसील बयाना के माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्देशो के क्रम में निकट ग्राम खडीआजना व दरिअरान वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन / निर्गमन के विरुद्ध चैकिंग की गई। तथा पूर्व में अवरुद्ध किये गये रास्तो को चैक किया गया। मौके पर कोई वाहन / मशीनरी खदाई नही पाये गये। तथा अवैध खनन / निर्गमन में प्रयुक्त रास्ते जो पूर्व में खाई खोदकर / ब्लॉक रखकर अवरुद्ध किये गये यथा स्थिति में अवरुद्ध पाये गये तथा बन्ध बरैठा - गढीबाजना मार्ग पर रोड के सहारे सहारे वन विभाग द्वारा करीब 5 feet ऊंचाई की पक्की दीवार बनाई जा रही है करीब 5 km लम्बाई में दीवार बनाई गई है। उक्त दिवार बनाने से वन क्षेत्र में जाने वाले रास्ते जिनका उपयोग खनिज निर्गमन में होने की सम्भावना रहती हो, को दीवार से बन्द किया गया है।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
(वन्य जीव) बंध बारैठा

(हस्ताक्षर)
SME
कार्यालय · सहायक खनि· अभि· रूपवास

राजन सिंह (व.र.)

दुष्यन्त सिंह व.र.

प्रवीण कुमार (व.र.)

Scanned with CamScanner

(Annex. 5)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–2

निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा श्री राजेश कुमार गुप्ता, भा.व.से., अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर

दिनांक 11.03.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर के निर्देश अनुसार दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार भरतपुर के बंध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के संबंध में बयाना के वन खण्ड दरबरहाना में अवैध खनन की वस्तुस्थित हेतु श्री टी0 मोहन राज, वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर, श्री मानस सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर, श्री जितेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं अन्य स्टाफ के साथ निरीक्षण किया गया।

दिनांक 11.03.2024 :–

उल्लेखनीय है कि बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य की प्रारंभिक अधिसूचना 5 अक्टूबर 1985 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी हुई है। दिनांक 23.03.2021 को एक संशोधित प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई, लेकिन अंतिम अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। सितम्बर, 2013 से अभयारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर के है। वर्तमान में अभयारण्य का क्षेत्रफल 174.68 वर्ग किलोमीटर है। गूगल अर्थ के इमेजरी अनुसार वर्ष 2010 से अवैध खनन देखा जा सकता है, परन्तु यहां पर खनन इसके कई वर्ष पूर्व से चल रहा हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के सहमति से बंध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य के चार वनखण्डों (बंशीपहाड़पुर–ए, बंशीपहाड़पुर–बी, कोट एवं सुकासिला वन खण्ड) को डिनोटिफाई किया गया है।

1. एनजीटी के ऑरिजिनल एप्पलीकेशन संख्या 07/2024 में दरबरहाना अवैध खनन क्षेत्र में निरीक्षण कर एनजीटी द्वारा गठित संयुक्त दल के रिपोर्ट अनुसार लोकेशन नंबर 1 (लगभग 2 वर्ग किलोमीटर) एवं लोकेशन नंबर 2 (लगभग 6 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है।
2. अभयारण्य में अवैध खनन की समस्या मुख्यतया नाका कोट में है। जो कि घडी बाजना क्षेत्र राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। अवैध खनन क्षेत्र दरबरहाना (लोकेशन–1) का निरीक्षण करने पर पाया कि यहां पर Sandstone के ब्लॉक्स काटकर निकाले गये है एवं मौके पर पटियां भी पड़ी हुई देखी गई। निरीक्षण के दौरान स्थानीय स्टाफ द्वारा सीज किए गए पत्थरों पर FD लिखा हुआ पाया गया तथा खनन पिट पर FD का चिह्न लगाकर सीज किया गया देखा गया। मौका निरीक्षण पर उपस्थित स्टाफ ने बताया कि रात के समय यहां अवैध खनन होता है।

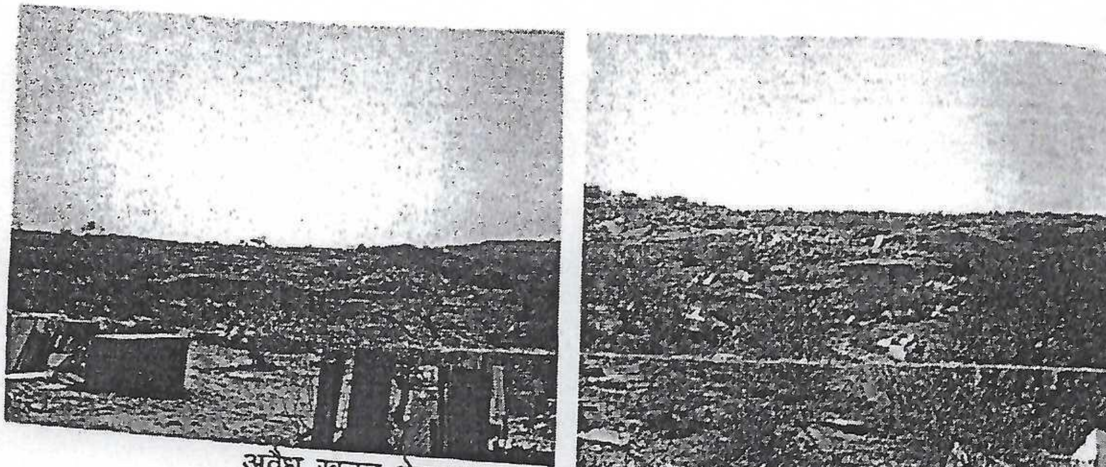

अवैध खनन क्षेत्र दरबरहाना में अवैध खनन के साक्ष्य

3. स्थानीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अवैध खनन 2–3 माह से पूर्ण रूप से बंद है परन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि चोरी छिपे अभी भी ग्रामीण अवैध खनन कर रहे है। अवैध खनन क्षेत्र में प्रवेश एवं निकासी के एक से अधिक बिन्दु होने के कारण पुर्ण रूप से खनन पर नियंत्रण पाने के लिए स्टॉफ की कमी को देखते आर०ए०सी की तैनाती अत्यंत आवश्यक है। अभी हाल ही में राज्यभर में अवैध खनन के रोकथाम के अंतर्गत आर०ए०सी मय सशस्त्र बल को लगाया गया था। जिससे अवैध खनन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया था।

4. मौके पर उपस्थित वनकर्मियों द्वारा यह बताया गया कि जब ग्रामीणों को यह ज्ञात हो जाता है कि आर०ए०सी सीमित समय के लिए तैनात है तो अवैध खनन का कार्य बंद कर देते है। लेकिन आर०ए०सी के चले जाने के बाद फिर से अवैध खनन के कार्य में पुनः लिप्त हो जाते है। अतः क्षेत्र में आर०ए०सी की तैनाती स्थाई रूप से होने पर अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सकेगा।

5. मौके वनकर्मियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बिना रवन्ना वाले ट्रैक्टर ट्रोलियों/वाहन से खनन विभाग रॉयलटी वसूल करता है एवं इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अवैध खनन किया हुआ पत्थर वैध रूप से क्षेत्र के आसपास में स्थापित गैंगसों में उपयोग होता है। इस संबंध में खनन एवं परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही करने पर अवैध खनन पर रोक लग सकती है।

6. बिना पंजीकृत वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही करने पर भी अवैध खनन पर प्रतिबंध लग सकेगा। वन खण्ड के समीप रोड के किनारे सुरक्षा हेतु पूर्व में पक्की दीवार बनाई गई है जो कहीं कहीं से क्षतिग्रस्त पाई गई तथा नई दीवार का भी निर्माण किया जा रहा है।

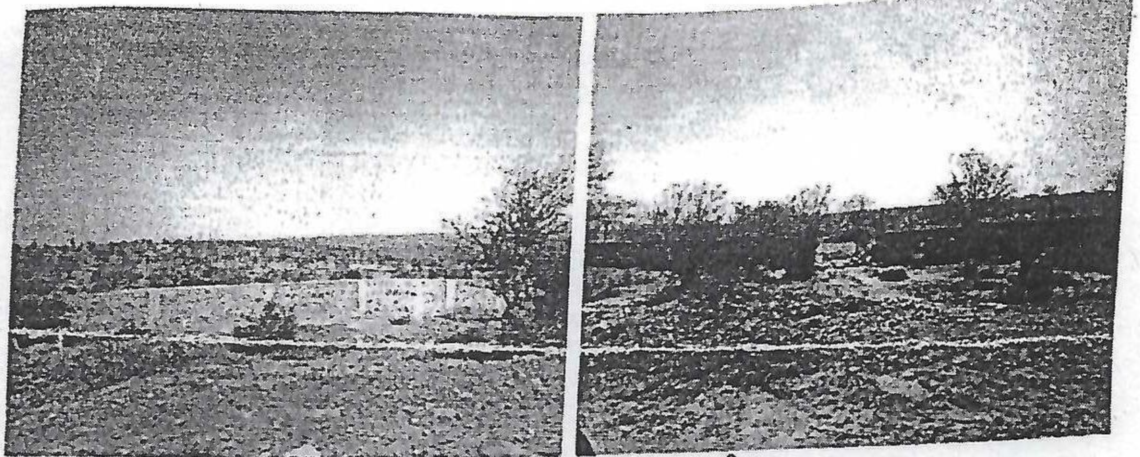

<u>दीवार निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त दीवार</u>

- उप वन संरक्षक ने अवगत कराया कि 31.03.2023 से जनवरी 2024 तक 25 वाहनों को अवैध खनन में लिप्त पाये जाने पर 12 लाख 32 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड किया गया है।

7. यह अवैध खनन क्षेत्र पुलिस चौकी एवं वन नाका से 1 किलोमीटर की दूरी एवं सीमेंट कांक्रीट सड़क के बायी तरफ स्थित है। अवैध खनन के क्षेत्र से उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा लगभग 200 मीटर एवं उत्तरप्रदेश में स्थित टाटपुर औद्योगिक क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है।

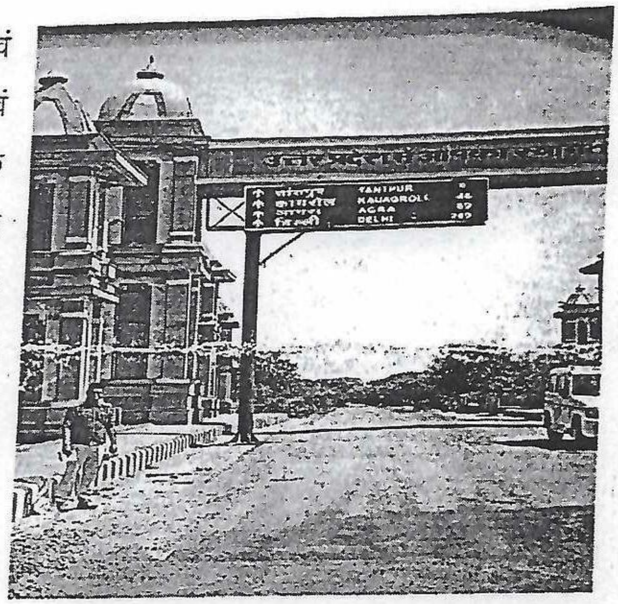

<u>दरबरहाना लोकेशन–2 से उत्तर प्रदेश की सीमा</u>

मौके पर चर्चा के दौरान यह अवगत कराया गया कि बयाना क्षेत्र में पत्थर मुख्यतयाः 3 औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचता हैः–

i. बयाना स्थित औद्योगिक क्षेत्र (RIICO)

ii. जयपुर आगरा हाईवे स्थित सिकन्दरा

iii. उत्तरप्रदेश में स्थित टाटपुर औद्योगिक क्षेत्र

<u>उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले पत्थर की वैधता की जांच भी संबंधित विभाग द्वारा करने पर अवैध पत्थर के खनन एवं परिवहन पर अंकुश लग सकेगा। चूंकि अवैध खनन में लिप्त ग्रामीणों की आजीविका को ध्यान में रखते हुये जिला प्रशासन के स्तर पर केंद्र एवं</u>

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। जिससे ग्रामीणों को अवैध खनन से दूर रखा जा सके।

8. उप वन संरक्षक को निर्देश दिये कि ग्रामीणों के साथ ईडीसी की बैठक आयोजित कर ग्रामीणों से **Sandstone** के अवैध खनन क्षेत्र में पत्थर की कटाई के कार्य से ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करें एवं साथ ही ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से सिलिकोसिस के मरीजों के संबंध में सूचना लेकर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सिलिकोसिस पॉलिसी, 2019 के तहत ग्रामीणों के उपचार इत्यादि प्रावधानों का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही करे। जिससे कि ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति समन्वय स्थापित हो सके एवं ग्रामीणों को अवैध खनन को रोकने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही विभाग द्वारा संचालित विकास कार्यों में भी इन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर अवैध खनन से होने वाली भविष्य में कानूनी कार्यवाही के बारे में जागरूक करते हुये अवैध खनन को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

9. उप वन संरक्षक ने यह अवगत कराया कि अवैध खनन क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग से अवैध खनन में लिप्त वाहनों के फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्रित किये जा सकते है। जिसे संबंधित विभाग को उपलब्ध करावाकर नियमानुसार कठोर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजे जा सकते है।

(राजेश कुमार गुप्ता)
अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ ( )निस/निप्र/अप्रमुवसंवजी/2024/ 16-20/c
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- दिनांक : 19/03/2024

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथंभौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
5. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर को निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निर्देशों की पालना में।

Office of the DCF (WL),
[illegible] National Park
2024-25

अति॰ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
राजस्थान, जयपुर

Annex. 6

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में भरतपुर जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित बैठक दिनांक 12.04.2024 का कार्यवाही विवरण

भरतपुर जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में प्रपत्र "अ" के अनुसार अधिकारीगण उपस्थित आये।

सर्वप्रथम जिले में संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संचालित विविध गतिविधियों की समीक्षा/चर्चा करते हुये अवैध खनन की रोकथाम हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान करते हुये उनकी कठोरता से पालना की अपेक्षा की गई:–

क्र0 सं0	चर्चा के बिन्दु	निर्णय	पालना हेतु जिम्मेदार अधिकारी
1	माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल मे दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में	• माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण बयाना तहसील के वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 22.04.2024 है। इसलिये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर दिनांक 15.04.2024 तक वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर सम्बंधित विभागों से वांछित पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण में नियत दिनांक को प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। पालना रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत करेंगे। यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से समन्वय कर पुलिस बल, प्राप्त	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर

Signature valid
Kai Ref 6613187
Digitally signed by A[illegible] Yadav
Designation: Collector & District Magistrate

		पृथक से जारी किये जायें। • माननीय अधिकरण द्वारा श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान एवं मुख्य वन संरक्षक वन विभाग को दो उच्च विभागीय उच्च अधिकारियों को नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो उक्त प्रकरण में जांच, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही, अवैध खनन का नियंत्रण एवं चैक तथा अवैध खनन से राज्य सरकार को हुयी नुकसानी की वसूली की कार्यवाही करेंगे। अतः इस सम्बंध में माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बंध में उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर को माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से सम्पर्क/पत्राचार कर माननीय मुख्य सचिव महोदय से समन्वय कराते हुये निर्देशानुसार दो विभागीय उच्चाधिकारियों कों नामित कराने हेतु निर्देशित किया गया।	उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर,
2	माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल मे दर्ज प्रकरण संख्या ओए 96/2023 (सी जैड) यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21. 03.2024 की पालना के संदर्भ में।	• माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 96/2023 (सी जैड) यादराम बनाम राजस्थान राज्य मे पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना के संदर्भ में अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण रूपवास तहसील के बंशीपहाडपुर क्षेत्र के वन क्षेत्र में सैण्ड स्टोन की अवैध एवं अनाधिकृत खनन गतिविधियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 11.07.2024 है। प्रकरण में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर वांछित पालना रिपोर्ट दिनांक 14.05.2024 तक आवश्यक रूप से तैयार करेंगे साथ ही उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर सम्बंधित [illegible]	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Yadav

		प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से समन्वय कर पुलिस बल प्राप्त करें। प्रकरण में कमेटी गठन आदेश पृथक से जारी किये जावें।	
3	माननीय हरित प्राधिकरण में विचाराधीन उक्त दोनों प्रकरणो में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत विभागीय अधिकारियों को निर्देश	• चूंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम से सम्बंधित है इसलिये इसकी रोकथाम का मुख्य दायित्व वन विभाग का है फिर भी वन विभाग भरतपुर एवं खनिज विभाग भरतपुर संयुक्त रूप से चैकपोस्ट स्थापित करें तथा अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाये जावें ताकि वन भूमि से अथवा अन्य स्थानों से अवैध खनन के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लग सके। • जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया गया कि वे विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित करें तथा अवैध खनन में लिप्त वाहनों का चिन्हीकरण करें तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। ओवर लोडिंग वाहनों एवं बिना नम्बरों के संचालित वाहनों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे। ट्रेक्टरों के साथ ट्रोली पर आर0सी0 नम्बर लिखवाने हेतु सम्बंधितों को पाबंद करें । • पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि वन एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के सम्बंध में चैक पोस्ट स्थापित किये जाने बाबत आर0ए0सी0 का नियमानुसार जाब्ता उपलब्ध करावें तथा अवैध खनन/निर्गमन सम्बंधी प्रकरणों में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें ताकि अवैध खननकर्ताओं में भय व्याप्त हो सके। • चूंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन से सम्बंधित है इसलिये माननीय हरित प्राधिकरण में जो प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावेगा वह वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। इस सम्बंध	जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by A[illegible] Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.04.[illegible] [illegible]9.41.58 IST
Reason: Approved

		वन विभाग सम्बंधित अन्य विभागों से समन्वय कर वांछित रिपोर्ट प्राप्त करें। • लीज धारको द्वारा टीटीजैड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण गण्डल के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण गण्डल भरतपुर को निर्देशित किया गया।	
4	समन्वयन व जनसूचना	समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये कि अवैध खनन की प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बंधित विभागों से आपस में समन्वय बनाया जावे तथा की गई कार्यवाही बाबत प्रेस नोट जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।	पुलिस अधीक्षक भरतपुर/ उप वन संरक्षक भरतपुर /अधीक्षण खनिज अभियंता, खनि0अभियंता भरतपुर / जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग भरतपुर

अतः उक्त दोनों प्रकरणों में वन विभाग के द्वारा प्रभारी अधिकारी केस की नियुक्ति करावें एवं सम्बंधित विभागों से प्रगति/पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण के समक्ष पैरवी/जबाव प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही करें।

बैठक में उपस्थित सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को हिदायत भी दी गई कि वे प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों से पूर्ण सहयोग लेकर अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध नियमित ढंग से प्रभावी कार्यवाही करें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

जिला कलक्टर
भरतपुर

क्रमांकः राजस्व/12/11(2)2024/ 1790-1831
दिनांकः 13/4/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, खान विभाग राज0 जयपुर।
3. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राज0 जयपुर।
4. श्रीमान संभागीय आयुक्त, संभाग भरतपुर।
5. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
7. उप वन संरक्षक भरतपुर/उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर
8. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर/अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता भरतपुर
9. खनि0 अभियन्ता, भरतपुर/सहायक खनि अभियंता रूपवास
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर।
12. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार समस्त..
13. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर

RajKaj Ref
6613187

जिला कलक्टर

Signature valid
Digitally signed by Amit Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.04.18 19:41:58 IST

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

क्रमांकः–

दिनांकः–

उपस्थिति प्रमाण पत्र

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम बाबत् गठित जिला स्तरीय एस.आई.टी. कमेटी की मीटिंग दिनांक 12.04.2024 को प्रातः 11:00 बजे जिला कलेक्टर सभागार, भरतपुर में आयोजित की गई, जिसमें एस.आई.टी. कमेटी के निम्न सदस्य उपस्थित हुये :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी/पदनाम	विभाग	मोबाईल नम्बर
1	Dr Amit		
2	Shruti Yadav	DM Bharatpur	9996237788
3	G K Verma, DCF WL Bharatpur	ADM city	7597421555
4	B.L Verma ACF W.L Bharatpur	Bharatpur	9414341007
5	Lalit Kumar Gupta		6350334882
6	Umesh Kr.	Transport	9829281332
7	Rajendra singh	RPCB.	9809508226.
8	Harish Goyal	Mines	7742261797
9	Manoj Kr. Tanwar	Mines	9414332825
10	Dr. Lal Chand Kayal	AME Ropways Mines	9828116972
		Add SP BPR	9414073562

(Annex. 7)

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांकः राजस्व/12/11(2)2024/48-

दिनांक 13/4/2024

आदेश

माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रकरण वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 22.04.2024 है। इसलिये निम्न अधिकारियों को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना बाबत वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु नामित किया जाता है :-

1. उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर।

उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर वांछित पालना रिपोर्ट दिनांक 15.04.2024 तक तैयार करेंगे तथा उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर सम्बंधित विभागों से भी पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण के समक्ष नियत दिनांक को प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से समन्वय कर पुलिस बल प्राप्त कर सकते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर

क्रमांकः राजस्व/12/11(2)2024/1841-1849

दिनांकः 13/4/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
2. उप वन संरक्षक भरतपुर/उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर
3. उपखण्ड अधिकारी बयाना/रूपवास
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर।

RajKaj Ref
6613251

जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature valid
Digitally signed by A... Yadav
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.04.13 19:41:57 IST

(Annex. 8)

संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 17.04.2024 को ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 07/2024 (CZ) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य समक्ष माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के निर्देशों की पालना मे श्रीमान जिला कलेक्टर भरतपुर की अध्यक्षता मे हुई बैठक दिनांक 12.04.2024 मे दिए गए निर्देशों के क्रम मे निकट ग्राम गढ़ी बाजना व दर्र बराहना वन्यजीव अभ्यारण्य बन्ध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर मे श्री जी.के वर्मा उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं श्री हरीश चन्द्र गोयल अधीक्षण खनिज अभियंता भरतपुर वृत्त भरतपुर एवं श्री मनोज कुमार तंवर सहायक खनिज अभियंता, रूपवास मय स्टाफ तथा श्री रूपेंद्र कुमार शर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी(वन्यजीव) बन्ध बारैठा मय स्टाफ के द्वारा मौका देखा गया | मौके पर बन्ध बारैठा से कोट , थाना गढ़ी बाजना से उत्तरप्रदेश (तातपुर) सीमा एवं थाना गढ़ी बाजना से धौलपुर रोड लखुआ का अड्डा, दरबराहना इत्यादि क्षेत्रों मे संभावित एवं संवेदनशील अवैध खनन एवं निर्गमन स्थलों एवं लिप्त कच्चे रास्तों का निरीक्षण किया गया | पूर्व मे विभागीय टीमों द्वारा खाई खोदकर तथा ब्लौक लगाकर अवरूध्द किये गए रास्तों का निरीक्षण किया गया मौके पर कोई वाहन,मशीनरी , मजदूर इत्यादि नही पाये गये एवं पूर्व मे अवरूध्द किये गए रास्ते यथास्थिति मे अवरूध्द पाए गए | मौके पर कुछ स्थानों पर अवैध खनन /निर्गमन के पुराने निशानात पाए गए ,तथा कच्चे रास्तों पर किसी प्रकार के वाहनों के आवागमन के निशानात नही पाए गए |जिससे स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र मे काफी समय से अवैध खनन/निर्गमन बंद है | क्षेत्र मे स्थापित वन विभाग का वनपाल नाका कोट के वनपाल ने बताया कि वन विभाग की टीमों द्वारा नियमित गश्त करने से उक्त क्षेत्र मे अवैध खनन बंद है| कभी कभी चोरी छुपे रात्रि मे उत्तर प्रदेश सीमा के पास से सैंड स्टोन का अवैध खनन/निर्गमन किया जाता है, जो वर्तमान मे बंद है | मौके पर उपस्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी (वन्यजीव) बन्ध बारैठा द्वारा बताया गया कि 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक वनपाल नाका कोट पर अस्थायी RAC चौकी तैनात की गयी उस समय अवैध खनन एवं निर्गमन पर पूर्ण नियंत्रण था , RAC हटने के बाद चोरी छुपे अवैध खनन एवं निर्गमन किया जाता है | वन विभाग द्वारा अवैध खनन एवं निर्गमन मे प्रयुक्त किये जाने वाले रास्तों को खाई खुदवाकर अवरूध्द किया गया है ,जिससे क्षेत्र मे अवैध खनन एवं निर्गमन पर अंकुश है |

संयुक्त कमेटी द्वारा बन्ध बारैठा क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य मे अवैध एवं निर्गमन की रोकथाम बावत निम्न सुझाव प्रस्तावित है :-

MFF SMP Rg

Scanned with CamScanner

Annex-9

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांकः–सखअ/रूप/भरत/एन.जी.टी./2024/246 दिनांक :–16 .04.2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक, (वन्य जीव)
वन विभाग, जिला–भरतपुर।

विषयः– माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(सेन्ट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओ.ए. 05/2024 (CZ) अरूण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं ओ.ए. 07/2024 (CZ) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संबंध में।

प्रसंगः– श्रीमान् जिला कलेक्टर का आदेश कमांक राजस्व/12/11(2)2024/48 दिनांक 13.04.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेन्ट्रल जोन), भोपाल में दर्ज प्रकरण ओ.ए.संख्या 07/2024(CZ) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के सन्दर्भ में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त प्रकरण वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने से संबंधित है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2024 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। बन्ध बारैठा क्षेत्र मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य व वन क्षेत्र है तथा माननीय एन.जी.टी. में दर्ज उपरोक्त प्रकरण वन्य जीव अभ्यारण्य से सम्बन्धित है जिसमें माननीय मुख्य सचिव के परिपत्र दिनांक 09.02.2012, 05.07.2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन को रोकने की जिम्मेदारी वन विभाग की है। जिसके सन्दर्भ में श्रीमान् जिला कलेक्टर के प्रासंगिक आदेश दिनांक 13.04.2024 से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना बाबत् वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु आप श्रीमान् उप वन संरक्षक (वन्य जीव), भरतपुर को नामित किया गया है।

श्रीमान् से निवेदन है कि इस विभाग द्वारा उपखण्ड स्तर पर गठित एस.आई.टी. कमेटी व स्वयं के स्तर से बन्ध बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम के विरूद्व निरन्तर चैकिंग कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, बयाना की अध्यक्षता में उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु एस.आई.टी. कमेटी की बैठक दिनांक 05.04.2024 को की गई जिसकी प्रति संलग्न है। तथा उक्त क्षेत्र में दिनांक 07.03.2024 से आज दिनांक तक अवैध निर्गमन के विरूद्व निरन्तर चैकिंग कर सख्त कार्यवाही की गई है जिसका विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	अवधि	अवैध खनन के प्रकरण	अवैध निर्गमन के प्रकरण	कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि(लाखों में)	दर्ज एफ. आई.आर.
1	07.03.2024 से 15.04.2024 तक	0	29	29	12.69	0

निवेदन है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेन्ट्रल जोन), भोपाल में दर्ज प्रकरण ओ.ए.संख्या 07/2024(CZ) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 13.03.2024 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से उनके कार्यालय में वार्ता कर वन्य जीव अभ्यारण्य (वन क्षेत्र) बन्ध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर में खनिज सैण्डस्टोन के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु आर.ए.सी. प्लाटून के नियोजन हेतु निवेदन किया गया। जिसके कम में उनके पत्र कमांक 3216–22 दिनांक 13.03.2024 से श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक,

पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, जयपुर से आर.ए.सी. प्लाटून उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया।(प्रति संलग्न) वर्तमान में राजस्थान राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 होने के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा जिले में आम लोकसभा चुनाव की तिथि 19.04.2024 नियत है। जिसके कारण आर.ए.सी. के जवान उपलब्ध नही हो पाये तथा वर्तमान में कार्यालय में आवंटित बोर्डर होमगार्ड के जवानों को भी उनके मुख्यालय के आदेश कमांक 1456 दिनांक 12.04.2024 के तहत चुनाव कार्य हेतु इस विभाग से कार्यमुक्त कर पुनः बुला लिया गया है (प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में बन्ध बारैठा क्षेत्र में वन विभाग से साथ भी संयुक्त रूप से निरन्तर चैकिंग की गई है। मौका रिपोर्ट दिनांक 09.04.2024 एवं 15.04.2024 के अनुसार उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन के रास्तों को खाई खोदकर काटा गया है तथा वन विभाग द्वारा करीब पॉच फीट उँचाई की पक्की दीवार बनाई गई है। उक्त दीवार बनवाने व कच्चे रास्तो को कटवाने से वन क्षेत्र में जाने वाले जिन रास्तों से खनिज निर्गमन होने की सभावना रहती है, उनको बन्द किया गया है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन पर अंकुश लगा है। (प्रति संलग्न है)

उक्त के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा स्वयं के स्तर से भी माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के प्रकरण में आदेश दिनांक 07.03.2024 से आज दिनांक तक उक्त क्षेत्र में अवैध खनिज निर्गमन की चैकिंग कर 29 प्रकरण दर्ज कर 29 वाहनों को जब्त किया जाकर राशि रूपये 12,69,000/- की शास्ति वसूल की गई है, जिनका विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। वर्तमान में भी क्षेत्र में निरन्तर चैकिंग की जा रही है, जिससे वर्तमान में अवैध खनन/निर्गमन पर अंकुश लगा है।

अतः श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के प्रासंगिक पत्र की पालना में इस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट को माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में अग्रिम तिथि दिनांक 22.04.2024 हेतु जवाब में शामिल कर नियत समय पर राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनोज कुमार तँवर)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

कमांकः—समसंख्यक/247-253

दिनांकः—16.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, भरतपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू—विज्ञान विभाग, कोटा जोन कोटा।
4. श्रीमान् उप वन सरक्षक, वन विभाग, भरतपुर।
5. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, भरतपुर—वृत, भरतपुर।
6. श्रीमान् क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर को उनके पत्र कमांक 3136—3139 दिनांक 21.03.2024 के सन्दर्भ में।
7. श्रीमान् खनि अभियन्ता, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, भरतपुर।

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

Annex-10

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) विविध II / उवसंवजी / 2024-25 /   दिनांक

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं
क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाईमाधोपुर

विषयः- बंध बारेठा में अवैध खनन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन की समस्या है, जिसके संबंध में एन.जी.टी. भोपाल में भी एक याचिका दायर की गई है। एन.जी.टी. भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 7.3.2024 (ओ.ए. नं0 5/2024 तथा 7/2024) में अवैध खनन के संबंध में उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये थे।

इस कार्यालय द्वारा बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के संबंध में कई बार स्टाफ की कमी, विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने, आर.ए.सी. उपलब्ध कराने इत्यादि के बारे में सूचित कर निवेदन किया गया है कि उचित संसाधनों के अभाव तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग के बिना अवैध खनन को रोक पाना सम्भव नही हो पा रहा है।

बंध बारैठा अभ्यारण्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु स्टाफ को संवेदनशील स्थानों पर लिखित में 24 घन्टे के लिये पाबन्द किया गया है, परन्तु सीमित स्टाफ होने के कारण पूरे क्षेत्र की गश्त तथा संवेदनशील स्थानों पर 24 घन्टे लगातार पाबन्द कर पाना एक साथ सम्भव नही हो पा रहा है। इस समस्या दूर करने हेतु आर.ए.सी. के जाप्ता की मांग की गई थी, परन्तु आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अवैध खनन की समस्या को रोकने हेतु आर.ए.सी. जाप्ता स्थाई रूप से उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(मानस सिंह)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) समसंख्यांक 1990-95   दिनांक 5-4-2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 जिला कलक्टर, भरतपुर से निवेदन है कि प्रशासन, खनन विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि को बंध बारैठा अभ्यारण्य में अवैध खनन को रोकने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

2 जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से निवेदन है कि आर.ए.सी. का जाप्ता उपलब्ध कराने की कृपा करें।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
भरतपुर

Annex-11 ~~Anx-2~~

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर

क्रमांक :- 3216 - 22 दिनांक :- 13/03/2024

श्रीमान् अति0 महानिदेशक पुलिस,
प्रशासन, कानून–व्यवस्था,
राज0 जयपुर।

विषय :- अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु जाब्ता उपलब्ध कराने बावत।
प्रसंग :- सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, रूपवास का पत्रांक 01 दिनांक 10.03.24 एवं उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर का पत्रांक 1485 दिनांक 12.03.24 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि "नेशनल ग्रीन टिब्यूनल, सैन्ट्रल जॉन बेंच भोपाल के प्रार्थना पत्र नं0 05/2024 दिनांक 07.03.24" जिसमे राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया है तथा जिसके संदर्भ में दैनिक भास्कर में भी खबर प्रकाशित हुई थी (दोनो की छायाप्रति संलग्न है) में सुनवाई के दौरान जारी निर्देशो की पालना में बंध बारैठा वन क्षेत्र तहसील बयाना में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु आर0ए0सी0 की एक प्लाटून स्थायी रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध है। जिसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बयाना के निकटम सुपरविजन में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु नियोजित किया जावेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

13/03/24
(मृदुल कच्छावा)
जिला पुलिस अधीक्षक
भरतपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं सतर्कता, राज0 जयपुर।
3. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर।
4. जिला कलक्टर भरतपुर।
5. सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, रूपवास।
6. उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर।

जिला पुलिस अधीक्षक
भरतपुर